राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3956/2024

सरोज वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसीपी, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2024

आदेश की दिनांक : 20.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से **:** श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर सीएचसी, पीलीबंगा, हनुमानगढ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पदोन्नति उपरांत पदस्थापन हेतु विभाग द्वारा विकल्प पत्र भरवाये गये, जिसमें अपीलार्थी ने अपने इच्छित स्थान सीएचसी, जैतसर, विजयनगर, सूरतगढ विकल्प पत्र में भरकर विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उक्त अंकित स्थानों पर अपीलार्थी का पदस्थापन नहीं करते हुये उसे सीएचसी, पीलीबंगा, पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2710/2023 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में

अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2023 जारी करते हुये यह निर्देश दिया कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिए गए विकल्प पत्र में दर्शाये गये स्थान में से पद रिक्त होने की स्थिति में विकल्पानुसार किसी भी स्थान पर 7 दिवस में पदस्थापन आदेश किया जावे। परंतु उक्त निर्देश की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिनांक 16.10.2023 को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर पदस्थापन के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफीसर सीधी भर्ती, 2023 अंतिम वरियता सूची दिनांक 06.12.2024 जारी की गई, जिससे रिक्त पदों को वरियता सूची के अनुसार भर दिया जायेगा और अपीलार्थी का पदस्थापन के संबंध में निस्तारण नहीं हो पायेगा।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अधिकरण के आदेश की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 16.10.2023 जिसमें अपीलार्थी ने विकल्प पत्र में दर्शाये रिक्त पदों को दर्शाया है, के संबंध में अपीलार्थी के पदस्थापन हेतु उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे और अपीलार्थी को सीएचसी जैतसर में पदस्थापित किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर सीएचसी, पीलीबंगा, हनुमानगढ में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को विकल्प पत्रानुसार पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2710/2023 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2023 जारी कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये हुये विकल्प पत्र में दर्शाये गये स्थान में से पद रिक्त होने की स्थिति में विकल्पानुसार किसी भी स्थान पर 7 दिवस में पदस्थापन आदेश पारित किये जावें। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने विकल्प पत्रानुसार पदस्थापन के संबंध में दिनांक 16.10.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का आज दिनांक का कोई निस्तारण नहीं किया और अनुलग्नक–6 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफीसर सीधी भर्ती, 2023 अंतिम वरियता

सूची दिनांक 06.12.2024 जारी की गई है, जिसमें वरिष्ठतानुसार कार्मिकों को रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा और अपीलार्थी रिक्त पद पर पदस्थापन होने से वंचित रह जायेगा। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पत्र कार्यालय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसर द्वारा जारी किया गया है और जिसमें जैतसर में नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय के 3 पद रिक्त बताये गये हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त सीएचसी जैतसर में वर्तमान में पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 16.10.2016 जिसमें विकल्प पत्रानुसार रिक्त पद दर्शाये गये हैं, जिसका पदस्थापन विकल्पानुसार पदस्थापन के संबंध में विभाग द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, अपीलार्थी द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये तथा विकल्प पत्र के अनुसार पदस्थापन के संबंध में निर्णय तक सीएचसी, जैतसर में नर्सिंग अधिकारी ग्रेड द्वितीय का एक पद रिक्त रखा जावे और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अविलम्ब निस्तारण करते हुये पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया जावे।

अतः उक्त निर्देशों के साथ मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य